

न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)/एफ.टी.सी, कोर्ट संख्या-1, गाजियाबाद।

आदेश

दिनांक-13.07.2024

अभियुक्त ने अपराध स्वीकार संस्वीकृत के आधार पर दोष सिद्ध।

अभियुक्त को अर्थदंड किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 01 दिन का साधारण कारावास होगा।

न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)/एफ.टी.सी,
कोर्ट संख्या-1, गाजियाबाद।